SHAKUNTALAM INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION

KIRHINDIH, KUMHAU STATION ROAD, SHIVSAGAR

COURSE NAME – B.Ed. 1st year SESSION – 2021-2023

SUBJECT – भारतीय शिक्षा का इतिहास

TOPIC NAME – शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन

DATE – 7/02/2022

PAGE NO.
DATE :

13 शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन

आयोग ने शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं।

(1) नामांकन एवं व्यय में लक्ष्यों की उपलब्धि पर अधिक बल दिया गया है

2 शिक्षा मंत्रालय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से विभिन्न राज्यों में शैक्षिक नियोजन का अध्ययन करें और विविध स्तरों पर नियोजन की प्रक्रिया का कार्यक्रम संचालित करें।

3 विश्व विद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक नियोजन प्रशासन और वित्त में अध्ययन हेतु उच्च केन्द्र स्थापित करने पर विचार करे।

4 विद्यालय शिक्षा प्रधानतः स्थानीय और राज्य की भागीदारी है।

14. शैक्षिक वित्त

यदि शिक्षा का समुचित रूप से विकास किया जाना है तो अगले 20 वर्षों में शैक्षिक व्यय 1965-66 में 12 रू / प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 1985-86 में 54 रू० कर दिया जाना चाहिए शैक्षिक व्यय उपलब्ध संसाधनों का 2/3 भाग विद्यालय शिक्षा पर और 1/3 भाग उच्च शिक्षा पर होगा।

शैक्षिक वित्त के स्त्रोत

PAGE NO.
DATE :

शिक्षा के अनुपोषण के लिए अधिकतम दायित्व राजकीय निधियों (केन्द्र एवं राज्य) पर होगा। स्थानीय समुदाय की सहायता विद्यालय निधियों का सृजन और विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की उन्नति विद्यालय सुधार सम्मेलनों की व्यवस्था द्वारा होनी चाहिए शिक्षा की लागत का एक निश्चित अनुपात पालिकाओं द्वारा वहन करना अनिवार्य होना चाहिए।

विशेषताएँ / गुण

शिक्षा आयोग का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अभूतपूर्व स्थान है क्योंकि आयोग ने देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को आधुनिक तरीके से परिवर्तित करने की सिफारिश करके शिक्षा को अत्यंत व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया है इस आयोग की गुण / विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

1. आयोग द्वारा प्रस्तुत शिक्षा की योजना राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगी।
2. समस्त देश के लिए सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए एक संरचना प्रस्तुत की

3. शिक्षकों की स्थिति में सुधार उनके वेतनमान पदोन्नति कार्य एवं सेवा दशाओं आदि के विषय में सुझाव देकर शिक्षकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया

4. सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में संगठन हेतु उपयोगी सुझाव दिये गये।

5 स्कूल स्तर पर भाषाओं के अध्ययन हेतु त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया।

6 उच्च शिक्षा में भीड़ को रोकने के लिए चयनात्मक प्रवेश प्रणाली अपनाने की संस्तुति की.

7. कृषि शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्व-विद्यालय खोलने की संस्तुति की

8. आयोग ने देश में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए प्रौढ़ शिक्षा के लिए विविध कार्यक्रमों को अपनाने का सुझाव दिया था।

9. शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार को अधिक वित्तीय दायित्व निर्वहन के लिए सुझाव दिया था।

दोष

PAGE NO.
DATE :

(1) आयोग की अधिकांश सिफारिशें अव्यावहारिक हैं, जिनका क्रियान्वयन सम्भव नहीं है।

2 आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षकों के वेतनमान और कार्य एवं सेवा शिक्षकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई थी।

3 देश में वरिष्ठ वि०वि० की स्थापना एवं वि०वि० शिक्षा के उन्नयन हेतु सुझावों का धन के अभाव में क्रियान्वयन नहीं हो सका।

4 स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव भी विशेष उपयोगी नहीं है।

(5) आयोग ने धार्मिक शिक्षा के विषय में कोई संस्तुति न करके भारतीय धर्म एवं दर्शन की उपेक्षा की।